लोक शिक्षण सचांलनालय
मध्यप्रदेश

क्र0/अध्या.संवर्ग/डी/संवि./143/2008//1299 भोपाल, दिनांक- 3/10/08

//आदेश//

म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक - 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक--8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक एक में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक दो तथा तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र	अध्यापक संवर्ग का नाम, एवं कार्यरत शाला का नाम (वरि.अध्या./अध्या./सहा.अध्यापक)	कार्यरत निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक
	1	2	3
1.	श्रीमती अंजना व्यास वरिष्ठ अध्यापक (जीवविज्ञान) शा.क.उ.मा.वि. अकोदिया मण्डी जिला शाजापुर	नगर पंचायत अकोदिया जिला शाजापुर जा.क्र. 465 दि. 02.06.07	नगर पालिका निगम उज्जैन जिला उज्जैन जा.क्र. 353 दि. 16.09.08 शा.उ.मा.वि. जालसेवा निकेतन

संविलियन की शर्ते -

1. यह अनुमति तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका क्रमांक एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों।
4. तालिका क्रमांक तीन में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका क्रमांक दो में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका क्रमांक एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैद्यता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-3 में वर्णित संविलियन निकाय के की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. **वरिष्ठ अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।**
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक के विरूद्व कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्व होने अथवा उक्त शर्तो की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यधीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका क्र 2 एवं 3 में अंकित निकायो द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

3/10/08

उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्र0/अध्या.संवर्ग/डी/संवि./143/2008/ 1300 भोपाल, दिनांक- 8/10/08

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। **उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।**
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/.............................. मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। **उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।**
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी ....एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उक्त शर्तो की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराएं। **उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।**
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित संबंधित वरिष्ठ अध्यापक की ओर सूचनार्थ।

8/10/08

उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र./शि.क./एडी/अजिनि संवि./भो./86/2008/ 269 भोपाल, दिनांक 3/X/08

:: आदेश ::

अध्यापक संवर्ग में अन्तर्जिला निकाय के अन्तर्गत संविलियन हेतु मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश/ज्ञाप दिनांक 08.11.05, 21.12.05 एवं 26.04.08 के द्वारा अध्यापक संवर्ग में नियुक्त/संविलियित महिला अथवा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता तथा परस्पर के आवेदक को अन्तर्जिला एक निकाय से अन्य निकाय में संविलियन की अनुमति के प्रावधान है ।

2/ भोपाल नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित शालाओं में वरिष्ठ अध्यापक एवं अध्यापक (विज्ञान/कला) के पद रिक्त नही होने के कारण नगर पालिक निगम भोपाल, जिला–भोपाल द्वारा वरिष्ठ अध्यापक एवं अध्यापक (विज्ञान/कला) पद के आवेदकों को अन्तर्जिला संविलियन के लिए जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्रों के संदर्भ में आयुक्त लोक शिक्षण की अध्यक्षता में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल, जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल एवं आयुक्त, नगर पालिक निगम भोपाल के प्रतिनिधि की उपस्थिति में दिनांक 27.09.08 को संचालनालय स्तर पर बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में लिये गये निर्णय के प्रकाश में निम्नांकित वरिष्ठ अध्यापक को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल की सहमति के आधार पर कॉलम–4 में अंकित संस्था के लिए अन्तर्जिला संविलियन की अनुमति दी जाती है :–

स.क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्ति का नाम, पद एवं संस्था	कार्यरत जिला/निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक	संविलियन किये जाने वाले जिले/निकाय का नाम एवं शाला का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती ममता जैन, वरिष्ठ अध्यापक, (हिन्दी) शा.उ.मा.वि.दीवानगंज जिला–रायसेन	जिला पंचायत रायसेन जिला–रायसेन जा.क्र. 721 दि. 02.03.07	जिला पंचायत भोपाल जिला–भोपाल शा.उमावि हर्राखेड़ा
2	श्रीमती वंदना सक्सैना, वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) शा.उत्कृ.उ.मा.वि.सारंगपुर जिला–राजगढ़	नगर पालिका परिषद सारंगपुर जिला–राजगढ़ जा.क्र. 597 दि. 15.07.08	जिला पंचायत भोपाल जिला–भोपाल शा.क.उमावि बैरसिया
3	श्रीमती तरूणा पंवार वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) शा. क. उमावि तराना जिला–उज्जैन	नगर पंचायत तराना जिला–उज्जैन जा.क्र. 417, दि.16.07.08	जिला पंचायत भोपाल जिला–भोपाल शा.उमावि गुनगा

संविलियन की शर्ते –

1. यह अनुमति तालिका के कालम–4 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी। यदि आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में पदांकन नहीं चाहता है तो उनकी अन्तर्जिला संविलियन की अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जाएगी।
2. तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम–4 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।

3. तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम–4 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही कार्यरत निकाय द्वारा कार्यमुक्त हो सकेगें ।
4. तालिका के कालम–4 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम–3 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम–4 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. वरिष्ठ अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक के विरूद्व कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्व होने अथवा उक्त शर्तो की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाई में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम–3 एवं 4 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

उप संचालक 03/10/08
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्र0/शि.क./एडी/अजिनि संवि./86/2008/ 270 भोपाल, दिनांक 3/X/08

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. संबंधित जिला–कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
4. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश ।
5. आयुक्त, नगर पालिक निगम भोपाल की ओर बैठक दिनांक 27.09.08 के संदर्भ में सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
7. संबधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

8. संबंधित की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संविलियन की अनुमति मान्य नहीं होने पर आपका प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा सूचनार्थ ।

उप संचालक 03/10/08
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश